

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

बनाम

नं.

सन्

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

10
19

पशावली पेश हुकम वकिल वाही हुकम बंटवारा
 उल्लेख पर सुनवाई गमा कर हुकम नही
 बंटवारा उल्लेख हुकम अंतिम डिक्लीयर
 जारी है निर्णय की पालना हेतु उल्लेख
 कोर्टिलों को लखी जाती है।
 पशावली हुकम सुनवाई हुकम नही
 से कर की जाकर दायिल हुकम हुकम

जायक नवेदत, नोबिल



अन्तिम डिगरी
डिगरी व मुकदमे इत्यादाई
 (ऑडर 21, कल 6-7, जाया दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं जजमन्त अधिकारी, ओसिया
 बहाल्लास श्री खानलाल रेग्मर आर.पू.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
प्रेमराम पुत्र देवाराम जाति प्रजापत, निवासी खेतासर, तहसील ओसिया		1. मदाराम पुत्र मुराराम 2. लाडोदेवी पत्नी सीताराम 3. ओमाराम पुत्र सीताराम 4. रामचन्द्र पुत्र बालुराम जाति प्रजापत, 5. देशराजकवर पुत्री विशालसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम खेतासर, तहसील ओसिया, 6. तहसीलदार ओसिया।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

वाद संख्या:- 40/2012

वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम खेतासर के खसरा नम्बर 83/1 रकबा 17 बीघा 14 हिस्सा में वादी का 1/18 हिस्से के रूप में खातेदार कार्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार ओसिया से बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त है। इसी अनुसार वादी का 1/18 हिस्सा अलग किये जाने बाबत अन्तिम डिग्री जारी की जाती है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अन्तिम डिग्री का भाग रहेगा। इसी आशय की अन्तिम डिग्री जारी की जाती है तथा निर्णय को चलना हेतु तहसीलदार ओसिया को तहरीर जारी हो।

निम्न मुकदमे के मय सूद व शहर बाबत खर्चा इस तारीख से तारीख वसूलयाबी तक फीसदी सालाना आज की को अदा करे।

बसखत मेरे चन्दाखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/11/19 को जारी की गई।

(Signature)
 सहायक कलेक्टर, ओसिया

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मतफरकत		

इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकेन का, चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

(Signature)
 मीजान

(Signature)
 सहायक कलेक्टर, ओसिया